



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 25 राँची, बुधवार 4 अग्रहायण 1942 (श०)
25 नवम्बर, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 204-213
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग****अधिसूचना**

21 सितम्बर, 2020

संख्या-4/नि0सं0-12-92/2014 का०-4705-- श्रीमती निवेदिता नियति, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), अंचल अधिकारी राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

- (क) दिनांक 08.03.2019 से 31.05.2019 तक :- उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा
(85 दिन) संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत
- (ख) दिनांक 01.06.2019 से 27.11.2019 तक :- प्रथम मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त
(180 दिन) विभागीय संकल्प सं०-551 दिनांक 01.03.2007 एवं 1997 दिनांक 01.07.2010 के तहत
- (ग) दिनांक 28.11.2019 से 16.01.2020 तक :- उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा
(50 दिन) संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2020

संख्या-4/नि०सं०-12-69/2014 का०-4769-- श्री परमानन्द बसील कुमार डांग, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (452/03 गृह जिला-गुमला), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चैनपुर, पलामू द्वारा दिनांक 08.03.2019 से 27.03.2019 तक कुल 20 दिनों की उपभोग की गई अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2020

संख्या-4/नि०सं०-12-22/2015 का. 4788-- वित्त विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में श्री जीतराय मुर्मू झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- सरायकेला-खरसावाँ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डु, पलामू द्वारा उपभोग किये गये दिनांक 05.07.2019 से 19.07.2019 तक (कुल 15 दिन) पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त, 2020

संख्या-4/नि0सं0-12-222/2014 का०- 4127 -- श्री नरेश कुमार मुण्डा, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच "सीमित बैच", गृह जिला- राँची) अंचल अधिकारी, रायडीह, गुमला को अवकाश की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक 06.12.2018 से 26.04.2019 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत
(कुल-142 दिन)
- (ii) दिनांक 27.04.2019 से 31.05.2019 तक रूपान्तरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत ।
(कुल-35 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग-----
अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2020

संख्या-15/सा०अव०-03-02/2020 का. - 5192 -- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति (संख्या-ECI/PN/67/2020 दिनांक-29.09.2020) एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची के पत्रांक-1397 दिनांक 29.09.2020 के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र संख्या-10, दुमका (अ०ज०जा०) एवं विधान सभा क्षेत्र संख्या-35, बेरमो में विधानसभा उप चुनाव, 2020 के मतदान के लिए दुमका एवं बेरमो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के सभी कार्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक बैंकों में मतदान की निर्धारित तिथि-03.11.2020 (मंगलवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2020

संख्या-4/नि०सं०-12-44/2017 का०- 5069/सुश्री सुनीता कुमारी, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला कोडरमा) अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह द्वारा उपभोग किये गये अवकाश की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक 23.01.2019 से 21.07.2019 तक झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प जापांक-907 दिनांक 01.07.2010 सहपाठित संकल्प जापांक-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में मातृत्व अवकाश ।
- (कुल 180 दिन)

- (ii) दिनांक 22.07.2019 से 21.08.2019 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।
(कुल 31 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2020

सं०सं०-4/नि०सं०-12-53/2015 का० 5266/ श्रीमती सविता टोपनो, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- खूँटी), कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर को दिनांक 05.09.2019 से 24.10.2019 तक (कुल 50 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2020

संख्या-01 स्था०-159/2020-2071/वि० स० | एतद द्वारा सर्वसाधारण के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की 20वीं वर्षगाँठ (स्थापन दिवस) समारोह के अवसर पर विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार नियमावली के नियम 7 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा वर्ष-2020 के लिए विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है:-

01. श्री रवीन्द्र नाथ महतो,	अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा	सभापति
02. श्री आलमगीर आलम,	संसदीय कार्य मंत्री (पूर्व विधान सभा अध्यक्ष)	सदस्य
03. श्री स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०	सदस्य
04. श्री रामचन्द्र चंद्रवंशी,	स०वि०स०	सदस्य
05. श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	स०वि०स०	सदस्य
06. श्री दिवाकर कुमार,	दूरदर्शन	सदस्य
07. श्री महेन्द्र प्रसाद,	सचिव, झारखण्ड विधान सभा सदस्य, सचिव	

आदेश से,

नवीन कुमार,
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2020

संख्या - 01 स्था -159 / 2020 - 2106 / वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -01 स्था -23 / 18-3661, दिनांक -20.11.2018 के द्वारा अधिसूचित विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार नियमावली की कड़िका -05 के नियम -03(ii) में झारखण्ड विधान सभा के प्रथम सचिव स्व० कपिलेश्वर प्रसाद की स्मृति में देय उत्कृष्ट विधान सभा कर्मी पुरस्कारों की संख्या को 01 (एक) से बढ़ाकर 05 (पाँच) किया जाता है ।

(ii) उपर्युक्त संशोधन विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार नियमावली का अंग होगा ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2020

सं०सं०-4/नि०सं०-12-29/2016 का. 5490--श्री अनुप किशोर शरण, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-545/03) सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला को दिनांक 01.08.2019 से 28.08.2019 तक (कुल 28 दिन) रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 नवम्बर, 2020

सं०सं०-03/नि०सं०-09-21/2020 का. 5508 /श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, (कोटि क्रमांक 625/03, गृह जिला- अररिया) संयुक्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 27.08.2020 से 10.09.2020 तक (कुल 15 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 नवम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-849/2015 का०- 5501 / श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से. (झा:2013), परिवहन आयुक्त, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.11.2020 से 13.11.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 30.10.2020 से 01.11.2020 तथा दिनांक 14.11.2020 से 16.11.2020 तक सार्वजनिक /राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 नवम्बर, 2020

सं०सं०-3/नि०सं०-09-144/2014 का. 5676/ श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 832 के नीचे /03, गृह जिला- छपरा), उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को कुल 02 दिनों के असाधारण अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

- | | |
|----------------------------------|--|
| (i) <u>दिनांक 30.12.2019 को</u> | } असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 के तहत । |
| (ii) <u>दिनांक 16.01.2020 को</u> | |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

5 नवम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-805/2020 का०- 5543 /श्री अजय नाथ झा, भा.प्र.से. (झा:2012), संयुक्त सचिव, अनु०ज०जा०, अनु०जा०, अल्प एवं पि०व० कल्याण विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 25.08.2020 से 07.09.2020 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।